

(ग) इस बाधा को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) दिसम्बर, 1964 के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह फैसला हुआ था कि एक ऐसी प्रथा अपनाई जाय जिससे राज्य सरकारों से प्राप्त मूल पत्र यदि हिन्दी में हों तो वे उसके साथ एक प्राधिकृत भंग्रेजी पाठ भी भेजे । जब भी बिना भंग्रेजी अनुवाद के हिन्दी पत्र प्राप्त होते हैं, तो मंत्रालयों में काम करने वाले हिन्दी जानने वाले या हिन्दी में प्रशिक्षित वर्तमान कर्मचारियों का उपयोग हिन्दी अनुवाद के काम के लिए किया जाता है और इस काम के लिए प्रलग से एक अनुवाद एकक की अभी तक आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई है ।

(ख) मार्च, 1961 में सभी मंत्रालयों को अनुदेश दिये गये थे कि सचिवालय के जिन अनुभागों के अधीकतर् कर्मचारी मामूली हिन्दी जानते हों वहां फाइलों पर हिन्दी में नोट लिखने की इजाजत दे दी जाय । किसी मंत्रालय/विभाग ने फाइलों पर हिन्दी में नोट लिखने की छूट न दी हो, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है ।

(ग) संघ के सरकारी कामों में हिन्दी के क्रमिक प्रयोग के लिए विभिन्न प्रारम्भिक कदम उठाये गये हैं ।

#### केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय

1682. श्री बिश्वान प्रसाद : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तथा वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग में "रिसर्च प्रसिस्टेंट" का एक भी पद अब तक स्थायी नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पदों और उन पर काम कर रहे कर्मचारियों को स्थायी बनाने

के लिए इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय के आदेशों के अनुसार क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) कार्यवाही के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त बशान) : (क) जी हां ।

(ख) निदेशालय तथा आयोग के प्रस्तावित पदों को, जिनमें अनुसंधान सहायकों के पद भी शामिल हैं स्थाई पदों में बदलने का प्रश्न विचारधीन है । प्रस्तावित कर्मचारियों को स्थायी घोषित करने के प्रश्न पर, पदों के स्थायी हो जाने के बाद ही विचार किया जाएगा ।

(ग) मामले में अभी कुछ समय लगेगा ।

#### Suburban Civil Force in Delhi

1683. Shri Ram Harkh Yadav: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up a Suburban Civil Force in Delhi for its protection;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether any units thereof have already been constituted?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

#### Anti-national activities of certain Journalists

1684. Shri Sidheshwar Prasad: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a representation has been made to him by some Members of Parliament against the anti-national activities of certain